

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक-०६ सितम्बर, 2023

क्रमांक/एफ-5-4/2012/58:: राज्य शासन मध्य प्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (1) 'ख' के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम 2010 के अंतर्गत बने मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय एवं निजी क्षेत्र की रोपणियों से विक्रय किये जाने वाले निम्नांकित फल पौधों की वर्ष 2023-24 के लिये अधिकतम दर कॉलम क्रमांक-3 में दर्शाये अनुसार घोषित करता है :-

क्रं.	नाम फल-पौध	वर्ष 2023-24 में दर प्रति पौध (रूपये में)
1	2	3
1	आम कलमी (सभी किस्में)	80
2	आम बीजू	25
3	अमरुद गूटी	50
4	अमरुद बडेड	50
5	अमरुद बीजू	25
6	नींबू गूटी	50
7	नींबू बीजू	25
8	मौसम्बी बडेड	50
9	संतरा बडेड	50
10	कटहल बीजू	25
11	सीताफल बीजू	25
12	सीताफल बडेड	50
13	अनार गूटी	50
14	अनार कटिंग	40
15	अनार ग्राफ्टेड	50
16	जामुन बीजू	25
17	फालसा कटिंग	40
18	शहतूत (रुटेड कटिंग)	40
19	ऑवला बडेड	50
20	ऑवला बीजू	25

क्रं.	नाम फल-पौध	वर्ष 2023-24 में दर प्रति पौध (रूपये में)
21	चीकू (ग्राफ्टेड)	80
22	बेर बडेड	50
23	करौंदा बीजू	25
24	करौंदा कलम	30
25	पपीता पौध बीजू (सभी उन्नत किस्में)	25
26	पपीता संकर किस्में बीजू	40
27	केला कन्द	25
28	लीची गूटी	80
29	अंगूर रूटेड कटिंग	25
30	नाशपाती बडेड	50
31	इमली	25
32	खुरासानी इमली	50
33	ड्रेगन फ्रुट	50
34	काजू	50
35	सहजन (मुनगा)	25
36	अंजीर कटिंग	30
37	बेल बीजू	25
38	बेल ग्राफ्टेडेड	50
39	पैशन फ्रुट	50

उपरोक्त दरें आगामी अधिसूचना जारी/प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सरिता बाला)
उप सचिव 6/9/2023

O/C

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग

पृ०क्र०एफ 5-4/2012/58

भोपाल, दिनांक- 06 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।
2. संचालक, उद्यानिकी तथा खादय प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग.....मध्यप्रदेश (समस्त)।
4. उप/सहायक संचालक उद्यान जिला..... मध्यप्रदेश (समस्त)।
5. सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान, पचमढी/भोपाल।
6. सहायक संचालक, उद्यान, बीज उत्पादन प्रक्षेत्र.....मध्यप्रदेश (समस्त)।
7. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र साधारण में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

C/c





उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग